(70)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2020

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सुलताना, जिला झुंझुनू (राज0)
–– प्रार्थी/सिक्योर्ड केडिटर

बनाम

मैसर्स विनोद एण्ड कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्री विनोद कुमार पूनिया पुत्र श्री लक्ष्मण राम, पता–बस स्टेण्ड के पास, ग्राम एवं पोस्ट सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
–– ऋणी/अप्रार्थी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांक 15.03.2021

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी/प्रोपराईटर मैसर्स विनोद एण्ड कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्री विनोद कुमार पूनिया पुत्र श्री लक्ष्मण राम, पता–बस स्टेण्ड के पास, ग्राम एवं पोस्ट सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं को दिनांक 30.12.2015 को रूपये 20,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/प्रोपराईटर ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्तियां, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– बंधक अचल सम्पत्तिः– रिहायशी मकान पट्टा नं0 44, बस स्टेण्ड के पास, ग्राम एवं पोस्ट सुलताना तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं मे स्थित है जिसका क्षेत्रफल 302.86 वर्गगज है जो कि श्री विनोद कुमार पूनिया पुत्र श्री लक्ष्मण राम के नाम से है। चतुर्थ सीमाऐं:– पूर्व मे प्यारेलाल की भूमि, पश्चिम– रास्ता, उत्तर–घीसा राम रेबारी का मकान, दक्षिण सागरमल जोगी का मकान। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी/प्रोपराईटर ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.10.2019 को अर्नजक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 26.11.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 20,22,813/– (अक्षरे रूपये बीस लाख बाईस हजार आठ सौ तेरह मात्र) दिनांक 14.11.2019 तक (31.10.2019 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूत लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधीकरण के द्वारा कोई रोक नही है। अतः

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(71)

नय निवेदन है कि उपरोक्त अचल सम्पत्ति को रहवासियों से भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये नसे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील प्रार्थी बार–बार बहस का अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उपस्थित नही। न ही प्रार्थी ां उपस्थित। वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का लोकन किया। प्रार्थी न तो स्वयं उपस्थित और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित। इससे हेर है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मे कोई रूचि नही नही है। प्रकरण मे बहस हेतु काफी सर दिये जा चुके है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर क्रम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू